न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– रक्षा पारीक, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 2023 / 138 (प्रा०प०)
दायर दिनांक – 06 / 06 / 2023
निर्णय दिनांक – 03 / 04 / 2025

अनवान

1. मनीष पिता पूर्णाशंकर ब्राहम्ण निवासी बागोल तह. नाथद्वारा हाल कूँचोली जिला राजसमन्द
2. लीला बाई बेवा पूर्णाशंकर ब्राहम्ण निवासी बागोल तह. नाथद्वारा हाल कूँचोली जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

विपक्षी

उपस्थित –
प्रार्थीगण की ओर से – श्री फतहलाल बोहरा, अधिवक्ता
विपक्षीगण की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांक – 03 / 04 / 2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट
: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम कूँचोली पटवार हल्का गुंजोल तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2073–2076, जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2021) में खाता संख्या 266 नया, 239 पुराना की आराजी संख्या 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601 कुल किता–09 कुल रकबा 1. 4924 हैक्टेयर होकर खातेदार जगदीश पुत्र पूर्णाशंकर संरक्षक सरपरस्त माता लाली बाई पत्नि पूर्णाशंकर हिस्सा 1/4 ब्राहम्ण साकिन ब्राहम्ण खातेदार, भैरूलाल पुत्र हुक्मीचंद हिस्सा 1/2 ब्राहम्ण साकिन बागोल खातेदार, लाली बाई पत्नि पूर्णाशंकर हिस्सा 1/4 ब्राहम्ण साकिन बागोल खातेदार है। ग्राम कूँचोली पटवार हल्का गुंजोल तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 में अंकित भूमि जिसके खाता संख्या नया–503, पुराना–442 है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण मनीष का नाम पेरा संख्या–1 में वर्णित आराजियात में जगदीश पिता पूर्णाशंकर अंकित हो गया है जो राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण हुआ है, जबकि प्रार्थी का नाम मनीष पिता पूर्णाशंकर है एवं लालीबाई बेवा पूर्णाशंकर का नाम राजस्व रेकर्ड में लीला बाई बेवा पूर्णाशंकर के नाम से पुकारते है जो अन्य दस्तावेजों से पूर्णतया साबित है। इसलिये उपरोत परिशिष्ट

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

अ एवं ब में वर्णित खातों में दुरस्ती की जाना नितान्त आवश्यक है। ग्राम कूँचोली पटवार हल्का गुंजोल तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2073–2076 में अंकित खाता संख्या नया–503, पुराना–442 भैरूलाल पिता हुक्मीचंद 1/2 हिस्सा ब्राहम्ण सा. बागोल लीज होल्डर, मनीष पिता पूर्णाशंकर1/4 हिस्सा ब्राहम्ण सा. बागोल लीज होल्डर, लाली पत्नि पूर्णाशंकर 1/4 हिस्सा ब्राहम्ण सा. बागोल लीज होल्डर है। प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में लालीबाई पत्नि पूर्णाशंकर तथा जगदीश पिता पूर्णाशंकर अंकित हो गया है जो गलत है तथा सही लीलाबाई बेवा पूर्णाशंकर एवं मनीष पिता पूर्णाशंकर है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त परिशिष्ट–अ–ब–स में वर्णित खातों में उनके नाम का सूधार करवाना चाहते है जो न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगणों ने अपने नाम की शूद्वि बाबत् आधारकार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, मार्कसीट व अन्य जमाबन्दी की नकल कुँचोली के खाता संख्या 202 दस्तावेज की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। राजस्व ग्राम कूँचोली पटवार हल्का गुंजोल के राजस्व खातों की नकले संलग्न है, जिनमें प्रार्थीगणों के नामों में सुधार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा सही नाम लीला बेवा पूर्णाशंकर तथा मनीष पिता पूर्णाशंकर ब्राहम्ण अंकित करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें राजस्व रेकर्ड में न्यायोचित सुधार करने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी का जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी तहसीलदार नाथद्वारा ने स्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं डिजिटाईजेशन के दौरान वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटिवश हुई अशुद्वि को शुद्व किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि विपक्षी संख्या 01 तहसीदार नाथद्वारा के स्वीकारोक्ति के जवाब अनुसार प्रकरण में प्रार्थीगण के सही नाम अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– : आदेश : –

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नाथद्वारा के स्वीकारोक्ति के जवाब अनुसार राजस्व ग्राम कूँचोली पटवार हल्का गुंजोल तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या नया 266

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

के आराजी संख्या 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या नया 503 के आराजी संख्या 1696/242, जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या नया 260 के आराजी संख्या 468, 469 एवं जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या नया 202 के आराजी संख्या 473 में प्रार्थीगणों के नामों में शुद्वि की जाकर सही नाम लीला बेवा पूर्णाशंकर तथा मनीष पिता पूर्णाशंकर ब्राहम्ण अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मोहर से सरे ईजलास सुनाया गया।

(रक्षा पारीक)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा, जिला- राजसमन्द